प्रेस नोट दिनांक 18.05.2026

थाना सीबीगंज जनपद बरेली

थाना सीबीगंज #bareillypolice द्वारा छात्रा हत्या कांड का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.05.2026 को थाना सीबीगंज क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-लखनऊ हाईवे से लगभग 300 मीटर दूर ग्राम खन्ना गौटिया के पास स्थित एक खाली खेत में युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। जांच के दौरान मृतका की पहचान नीतू पुत्री सोनपाल सिंह गंगवार निवासी ग्राम मानपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के रूप में हुई। मृतका के गले पर दबाव के निशान पाए जाने पर प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। प्रकरण के संबंध में थाना सीबीगंज पर मु0अ0सं0 207/2026 धारा 138/103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन कर इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच की गई। जांच के दौरान अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी लखीमपुर भीखा पोस्ट नेपनिया मिलक थाना कैमरी जनपद रामपुर का नाम प्रकाश में आया।

सूचना एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 17.05.2026 की रात्रि में थाना सीबीगंज पुलिस टीम दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गश्त एवं चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से रामपुर की ओर से हाईवे की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ट्यूलिया अंडरपास के निकट घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, आत्मरक्षा एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस द्वारा अभियुक्त को सुरक्षित कब्जे में लेकर मौके से एक तमंचा .315 बोर एवं एक जीवित तथा नाल में फंसा एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार देते हुए जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अशोक पुत्र सुनील निवासी लखीमपुर भीखा पोस्ट नेपनिया मिलक थाना कैमरी जनपद रामपुर उम्र 26 वर्ष

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 207/26 धारा 138/103(1) बीएनएस थाना सीबीगंज जनपद बरेली

मु0अ0सं0 210/26 धारा 109 बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज जनपद बरेली

बरामदगी का विवरणः-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर
- एक जिन्दा एवं एक खोखा कारतूस .315 बोर
- मृतका का पर्स, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एक काला चश्मा, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का अंग्रेजी प्रश्नपत्र एवं मॉडल पेपर
- एक मोटरसाइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट (सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह मृतका नीतू को पिछले लगभग छह वर्षों से जानता था तथा दोनों पूर्व में एक ही विद्यालय में पढ़ चुके थे। अभियुक्त के अनुसार वह नीतू से विवाह करना चाहता था और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। डीएलएड परीक्षा के दौरान अभियुक्त मृतका को परीक्षा केंद्र लाने-ले जाने का कार्य करता था। इसी दौरान अभियुक्त ने मृतका के मोबाइल फोन में अन्य दोस्तों के फोटो एवं चैट देखे, जिससे उसे शक एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ।दिनांक 15.05.2026 को अंतिम परीक्षा के बाद अभियुक्त ने नीतू से इस संबंध में बातचीत की, जिस पर दोनों के बीच विवाद एवं कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर आवेश में आकर अभियुक्त ने मृतका के दुपट्टे से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद अभियुक्त शव को खेत में छोड़कर मौके से फरार हो गया तथा परिजनों को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक जानकारी देता रहा। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में हत्या की घटना स्वीकार की गई है।

पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक प्रदीपक कुमार चतुर्वेदी थाना सीबीगंज जनपद बरेली
उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार गौतम थाना सीबीगंज जनपद बरेली
उ0नि0 अखिल तेवतिया थाना सीबीगंज जनपद बरेली
उ0नि0 राजवीर सिंह थाना सीबीगंज जनपद बरेली
कां0 1162 जफरयाव अली थाना सीबीगंज जनपद बरेली
कां0 968 अरविन्द कुमार थाना सीबीगंज जनपद बरेली
का0 570 अरविन्द कुमार थाना सीबीगंज जनपद बरेली
का0 3295 विनीत कुमार थाना सीबीगंज जनपद बरेली
का0 2720 शान्ति स्वरुप थाना सीबीगंज जनपद बरेली